प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

Pension 14/I/2011-12/

Date: .06.2011

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts,
Hyderabad.

Sir,

Sub: Forwarding of Special Seal Authority regarding:
1. HRA for Bihar Judicial Services – Retired Govt. Servant. – 1250-2500 w.e.f 01-08-2010, Medical Allowances 100 to 1500 w.e.f 01.08.2010.

Ref: Office of the Accountant General (A&E) II, Bihar Patna. Special Seal Authority No:
1. No. Pen IX-Spl. Seal Authority No. 1701 dated 07.01.2011.

* * *

I am herewith enclosing a copy of letter issued by the Office of the Accountant General (A&E) II, Bihar Patna. in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the DTOs to download the orders and take necessary action at the earliest to minimise hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Venu Rama Kumar 9/6/2011

Senior Accounts Officer

Copy to:
Joint Director, Pension Payment Office,
Hyderabad for information and necessary action.

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, BIHAR, PATNA

No. Pen-IX-Spl. seal Authority No.- 1701 *Dated-* 7/1/11

To,

The Accountant General (A&E)
Andhra pradesh Hyderabad

Sub:- ~~**Grant of Deanreness relief to the**~~ **State Government Pensioners,**

Bihar Govt. Resolution No. 3F-2-वे०पु०-12/2009(भाग-II)-14301 से 14302

Date - 22/12/2010

Sir,

I am to forward herewith HIndi/English versions of copies of Govt. of Bihar, Finance Deptt. Resolution No 14301/से 14302 Dated 22/12/2010 for your needful action.

You are requested to circulate this order to all Treasuries/Sub-Treasuries and Public Sector Banks in your Jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same with enclosure.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Encl : Copies of Bihar Govt. 3F-2-वे०पु०-12/2009(भाग-II)14301 to 14302
Resolution No.-
Dated : 22/12/2010

Memo No. Pen-IX-Spl.-Bihar Date-

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Joint Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna.
2. General Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vindya Vasini Sadan, North Sri Krishna Puri, Patna-800 013.
3. Accounts Officer I.T.A./ Pension-1

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

सं0-3ए2-वे0पु0-12/2009 (भाग-II) -.............

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प पटना, दिनांकः-

विषयः- **बिहार न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।**

A G
23 DEC 2010
PATNA

सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प सं.-13070 दि0-21.12.06 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को रू0 1250/- (एक हजार दो सौ पचास रू0 मात्र) प्रतिमाह घरेलू सहायता भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. पद्मनाभन समिति की अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि0-26.07.2010 के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के सवेा निवृत्त पदाधिकारियों के घरेलू सहायता भत्ता के पुनरीक्षण का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों के दि0-01.08.2010 के प्रभाव से रू0 2500/- (दो हजार पॉच सौ रू0 मात्र) प्रतिमाह घरेलू सहायता भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया है । साथी ही न्यायिक सेवा के पारिवारिक पेंशनधारी को रू0 1000/-(एक हजार रू0 मात्र) प्रतिमाह घरेलू सहायता भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ।

4. उपर्युक्त घरेलू सहायता का भुगतान दि0-01.08.2010 के प्रभाव से नगद रूप में किया जाएगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(मदन मोहन प्रसाद)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक - 3ए2-वे0पु0-12/2009 (भाग-II) -1430/ पटना, दिनांक :- 22/XII/2010

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/12/2010

(मदन मोहन प्रसाद)

विशेष सचिव,वित्त विभाग

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः– बिहार न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों के मासिक चिकित्सा भत्ता की दर में संशोधन के संबंध में ।

23 DEC 2010
PATNA

बिहार न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों एवं उनसे संबंधित पारिवारिक पेंशनधारियों को रू0 100 (एक सौ रू0 मात्र) प्रतिमाह मासिक चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जाता था ।

2. पद्मनाभन समिति की अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सेवा निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों एवं उनसे संबंधित पारिवारिक पेंशनधारियों को मासिक चिकित्सा भत्ता की दर में संशोधन का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने सेवा निवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को दि0–01.08.2010 के प्रभाव से रू0 1500/–(एक हजार पाँच सौ रू0 मात्र) प्रतिमाह मासिक चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया है तथा पारिवारिक पेंशनधारियों को रू0 750/–(सात सौ पचास रू0 मात्र) प्रतिमाह मासिक चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया है ।

4. उपर्युक्त चिकित्सा भत्ता का भुगतान नगद रूप में दि0–01.08.2010 के प्रभाव से किया जाएगा ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए ।

Pen– XI

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(मदन मोहन प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक – 3ए2-वे0पु0-12/2009 (भाग-II) – 14302 पटना, दिनांक :– 22/XII/2010

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/12/2010
(मदन मोहन प्रसाद)
विशेष सचिव,वित्त विभाग